प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
4– अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल।
5– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6– उप शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तराखण्ड,
(जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 सम्बन्धित जनपद के माध्यम से)।

पत्रांकः लेखा स्था0/ 1926-29 /प्रतिनियुक्ति /2017–18 दिनांक 16 जून, 2017

विषयः– **प्रतिनियुक्ति पर अधिक अवधि तक रूकने पर कृत कार्यवाही के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः जी0–1–176/दस–99–534(46) 76 टी0सी0 दिनांक 16–03–1999 में निहित व्यवस्थानुसार 5 वर्ष निर्धारित की गयी है। प्रतिनियुक्ति अवधि की गणना प्रतिनियुक्ति आदेश की तिथि से की जायेगी। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक स्वतः ही मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त समझे जायेंगे, तथा आगामी माह का वेतन मूल विभाग से ही आहरित किया जायेगा।

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–4/जी0आई0/XXX(2)/2007 दिनांक 12–3–2007 के अनुक्रम में निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें :–

1– प्रतिनियुक्ति के पद के सक्षम अधिकारी प्रतिनियुक्ति आदेश में प्रतिनियुक्ति अवधि के साथ कार्यभार मुक्त होने की तिथि भी अंकित करें। कार्यमुक्ति करने हेतु कोई पृथक से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि की तिथि की समाप्ति पर उन्हें कार्यभार से मुक्त माना जायेगा सिवाय उस स्थिति के जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित रूप से प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने हेतु अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न कर लिया हो।

2– प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनियुक्ति अवधि से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर न रहे यह उनके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

3– प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति की 6 माह के भीतर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से केवल एक माह के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित की जा सकेगी।

4– यदि किसी कारण से शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी अधिक दिनों तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहेगे तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सेवा परिणाम के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि पेन्शन के प्रयोजन के लिए सेवा में नहीं गिनी जायेगी, तथा

उक्त अवधि में वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से आस्थगित रहेगी जब तक कि वह मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

16.6.2017

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0: लेखा स्था0 / 1926-29 / प्रतिनियुक्ति / 2017–18 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को मा0 शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– प्रभारी सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2– एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड